छत्तीसगढ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492 002

क्रमांक एफ 7–19 / 2015 / XII   नया रायपुर, दिनांक 20 JUL 2017

प्रति,

1. संचालक,
भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़,
इन्द्रावती भवन,
ब्लॉक–बी, द्वितीय तल,
नया रायपुर।

12 2 JUL 2017

2. समस्त जिलाध्यक्ष,
जिला–.......................................
छत्तीसगढ़।

विषयः– **छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम–22 में संशोधन बाबत्।**

––:0:––

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9 ख एवं धारा 15 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, **छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–22 में** अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19 / 2015 / XII, दिनांक 07 जुलाई, 2017 द्वारा संशोधन किया गया है। तत्संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र (साधारण) दिनांक 07 जुलाई, 2017 के भाग–1 पृष्ठ क्रमांक 1121 एवं 1122 में हुआ है। उक्त राजपत्र वेबसाईट **www.cg**.nic.in/**egazette**/ में डाऊनलोड कर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 7–19 / 2015 / XII   नया रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

संयुक्त संचालक, कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर / बिलासपुर / जगदलपुर (छ0ग0) एवं उप–संचालक(खनि प्रशासन) / खनि अधिकारी, जिला कार्यालय (खनिज शाखा) जिला...(छ0ग0) की ओर उपर्युक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

Office of the Director of Geology & Mining
1112
Receipt No. ....
Dated 22 JUL 2017
इन्द्रावती नया रायपुर छत्तीसगढ़

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Naya Raipur, the 14th Jun 2017

No. E 1-7/2011/1/2.—Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training vide Notification No. 13017/15/2011-AIS-I dated 27-02-2012 accords approval for inter cadre deputation of Shri Santosh Kumar Misra, IAS (TN:2000) from Tamil Nadu cadre to Chhattisgarh cadre for a period of five years with effect from the date of his reporting for duty. Shri Santosh Kumar Misra reported for duty on 15-06-2012 in Chhattisgarh cadre.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.—खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9 ख एवं धारा 15 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 22 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "22 क. जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण, संबंधित जिला हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा."

2. प्ररूप-क के खण्ड 21 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—
   "21 क. जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन किये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण, संबंधित जिला हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा."

टीप :— छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 दिसंबर, 2015 में प्रकाशित किया गया था. मूल नियम को अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 30 जून, 2016 द्वारा संशोधित किया गया तथा अंतिम बार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 26 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 07 जुलाई, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 7th July 2017

No. F 7-19/2015/12.—In exercise of the powers conferred by Section 9B and sub-section (4) of Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After rule 22, the following shall be added, namely :—
   "22 A. The works carried out under District Mineral Foundation Trust shall be monitored by the District Development Coordination and Monitoring Committee constituted by the Ministry of Rural Development, Government of India for the concerned District."

2. After clause 21 of Form-A, the following shall be added, namely :—
   "21 A. The works carried out under District Mineral Foundation Trust shall be monitored by the District Development Coordination and Monitoring Committee constituted by the Ministry of Rural Development, Government of India for the concerned District."

Note :— The Chhattisgarh District Mineral Foundation Rules, 2015, were notified in the Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 22 December, 2015. The principal rules were lastly amended vide notification number F 7-19/2015/12 dated 26 November, 2016 and prior to that amended vide notification number F 7-19/2015/12 dated 30 June, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2017

क्रमांक 4401/1480/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री गेंदलाल डिंडोरे के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, मुंगेली तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक मुंगेली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.